

NCST द्वारा जनजातीय वसिथापन पर सर्वेक्षण

चर्चा में क्यों?

[राष्ट्रीय अनुसूचति जनजात आयोग \(NCST\)](#) ने तेलंगाना, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और ओडिशा की सरकारों को निर्देशित किया है कि वे [माओवादी हिसा](#) के कारण छत्तीसगढ़ से [वसिथापति](#) होकर पड़ोसी राज्यों में कठनाइयों का सामना कर रहे [आदवासी लोगों](#) की वास्तविक संख्या का पता लगाने के लिये एक सर्वेक्षण करें।

मुख्य बडि

- **वसिथापति जनजातीय लोगों की पहचान:**
 - पैनल ने तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और महाराष्ट्र में [वसिथापति जनजातीय लोगों की सही संख्या और स्थान निर्धारित करने की आवश्यकता पर बल दिया](#), ताकि अगली कार्रवाई की योजना प्रभावी ढंग से बनाई जा सके।
- **सर्वेक्षण और डेटा संकलन के लिये समन्वय:**
 - NCST ने छत्तीसगढ़ सरकार को सर्वेक्षण कराने के लिये [तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और महाराष्ट्र सरकारों के साथ समन्वय करने हेतु एक नोडल अधिकारी नियुक्त करने का निर्देश दिया](#)।
 - इन राज्यों से आँकड़े एकत्र करने के बाद, छत्तीसगढ़ सरकार को एक समेकित रिपोर्ट तैयार करनी होगी और उसे आगे की कार्रवाई के लिये [NCST को प्रस्तुत](#) करना होगा।
- **इस मुद्दे को उजागर करने वाली याचिका:**
 - आयोग को [मार्च 2022 में एक याचिका प्राप्त हुई](#), जिसमें [उल्लेख किया गया था कि गोट्टी कोया समुदाय](#) के सदस्य, जो [वर्ष 2005 में माओवादी छापामारों और भारतीय सुरक्षा बलों](#) के बीच हिसा के कारण छत्तीसगढ़ से भाग गए थे, अपने नए स्थानों पर गंभीर कठनाइयों का सामना कर रहे हैं।
- **वसिथापति आदवासियों की अनुमानित संख्या:**
 - जनजातीय अधिकार कार्यकर्ताओं का [अनुमान](#) है कि [वामपंथी उग्रवाद](#) के कारण लगभग 50,000 आदवासी छत्तीसगढ़ से वसिथापति हुए हैं।
 - वे वर्तमान में ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और महाराष्ट्र के [वनों में 248 बस्तियों में रह रहे हैं](#)।
- **भूमि पुनर्ग्रहण एवं वसिथापन संबंधी चिंताएँ:**
 - रिपोर्टों से पता चलता है कि तेलंगाना सरकार ने कम से कम 75 बस्तियों में [आंतरिक रूप से वसिथापति लोगों \(IDP\)](#) से भूमि वापस ले ली है, जिससे उनकी आजीविका खतरे में पड़ गई है और वे अधिक असुरक्षित हो गए हैं।
 - आयोग ने याचिका का उल्लेख करते हुए यह आरोप लगाया कि वन विभाग के अधिकारियों ने आंतरिक रूप से वसिथापति व्यक्तियों के आवासों को नष्ट कर दिया और उनकी कृषि फसलों को भी नष्ट कर दिया।

राष्ट्रीय अनुसूचति जनजात आयोग (NCST)

- **परिचय:**
 - NCST की स्थापना वर्ष 2004 में [अनुच्छेद 338 में संशोधन करके और 89वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2003](#) के माध्यम से [संविधान](#) में एक [नया अनुच्छेद 338A](#) जोड़कर की गई थी। इसलिये, यह एक [संवैधानिक निकाय](#) है।
 - इस संशोधन द्वारा पूर्ववर्ती राष्ट्रीय अनुसूचति जाति एवं अनुसूचति जनजात आयोग को दो [पृथक आयोगों द्वारा प्रतिस्थापित किया गया:](#)
 - [राष्ट्रीय अनुसूचति जाति आयोग \(NCSC\)](#) और [राष्ट्रीय अनुसूचति जनजात आयोग \(NCST\)](#)
- **उद्देश्य:**
 - अनुच्छेद 338A, अन्य बातों के साथ-साथ, NCST को संविधान के तहत या किसी अन्य कानून के तहत या सरकार के किसी अन्य आदेश के तहत [अनुसूचति जनजातियों \(ST\)](#) को प्रदान किये गए विभिन्न सुरक्षा उपायों के कार्यान्वयन की देखरेख करने और ऐसे सुरक्षा उपायों के कामकाज का मूल्यांकन करने की शक्तियाँ प्रदान करता है।
- **संघटन:**
 - इसमें एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और तीन अन्य सदस्य होते हैं, जिन्हें [राष्ट्रपति](#) अपने हस्ताक्षर और मुहर सहित वारंट द्वारा नियुक्त करते हैं।

- कम से कम एक सदस्य महिला होनी चाहिये।
- अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और अन्य सदस्य 3 वर्ष की अवधि के लिये पद धारण करते हैं।
 - अध्यक्ष को केंद्रीय कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया है, उपाध्यक्ष को राज्य मंत्री का दर्जा दिया गया है तथा अन्य सदस्यों को भारत सरकार के सचिव का दर्जा दिया गया है।
- सदस्य दो कार्यकाल से अधिक के लिये नयुक्ति के पात्र नहीं हैं।

गोट्टी कोया जनजाति

परिचय:

- गोट्टी कोया भारत के कुछ बहु-नस्लीय और बहुभाषी जनजातीय समुदायों में से एक है।
- वे आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और ओडिशा राज्यों में गोदावरी नदी के दोनों किनारों पर वनों, मैदानों और घाटियों में रहते हैं।
- ऐसा कहा जाता है कि वे उत्तर भारत के बस्तर स्थिति अपने मूल निवास से मध्य भारत में प्रवास कर आये थे।

भाषा:

- कोया भाषा, जिसे कोयी भी कहा जाता है, एक द्रविड़ भाषा है। यह गोंडी से बहुत मिलती-जुलती है और इस पर तेलुगु का बहुत प्रभाव है।
- अधिकांश कोया लोग कोयी के अतिरिक्त गोंडी या तेलुगु भी बोलते हैं।

पेशा:

- परंपरागत रूप से वे पशुपालक और झूम खेती करने वाले किसान थे, लेकिन आजकल उन्होंने स्थायी खेती के साथ-साथ पशुपालन और मौसमी वन संग्रह को भी अपना लिया है।
- वे ज्वार, रागी, बाजरा और अन्य मोटे अनाज उगाते हैं।

समाज एवं संस्कृति:

- सभी गोट्टी कोया पाँच उपवर्गों में से एक से संबंधित हैं जिन्हें गोत्रम कहा जाता है। हर गोट्टी कोया एक कबीले में जन्म लेता है और उसे उस कबीले को छोड़ने की अनुमति नहीं होती है।
- उनका परिवार पतिव्रंशीय और पतिस्थानीय होता है। इस परिवार को "कुटुम" कहा जाता है। एकल परिवार ही इसका प्रमुख प्रकार है।
- कोया लोगों में एकपत्नीत्व प्रथा प्रचलित है।
- वे अपने स्वयं के जातीय धर्म का पालन करते हैं, लेकिन कई हिंदू देवी-देवताओं की भी पूजा करते हैं।
- कई गोट्टी कोया देवी हैं, जिनमें सबसे महत्त्वपूर्ण "धरती माता" है।
- वे ज़रूरतमंद परिवारों की सहायता करने और उन्हें खाद्य सुरक्षा प्रदान करने के लिये गाँव स्तर पर सामुदायिक नधि और अनाज बैंक चलाते हैं।
- वे मृतकों को या तो दफना देते हैं या उनका दाह संस्कार कर देते हैं। वे मृतकों की याद में मेनहरि बनवाते हैं।
- उनके मुख्य त्योहार वज्जी पांडुम (बीज आकर्षण त्योहार) और कोंडाला कोलुपु (पहाड़ी देवताओं को प्रसन्न करने का त्योहार) हैं।
- वे त्योहारों और विवाह समारोहों के अवसर पर परमाकोक (बाइसन सींग नृत्य) नामक एक उत्साही और रंग-बरिगे नृत्य का प्रदर्शन करते हैं।